

भारत सरकार
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3135
06 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सीकर की जल निकासी व्यवस्था

3135. श्री अमरा राम:

क्या आवासन और शहरी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीकर शहर के लिए प्रस्तावित जल निकासी व्यवस्था संबंधी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत की गई है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा सहित उक्त डीपीआर के स्वीकृत किए जाने की संभावित तिथि क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बीकानेर जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहर का अपशिष्ट जल एकत्र होने की समस्या का समाधान कर लोगों को राहत प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा उक्त समस्या के समाधान की संभावित समय-सीमा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री
(श्री तोखन साहू)

(क) और (ख) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) के अंतर्गत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जलाशयों के पुनरुद्धार के लिए परियोजनाएं कार्यान्वित करते हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, तूफानी वर्षा जल निकासी के माध्यम से वर्षा जल का जलाशयों(जिनमें सीवेज/अपशिष्ट नहीं आता है) में संचयन तथा जलाशयों के आसपास तूफानी वर्षा जल निकासी नालों का निर्माण/सुदृढ़ीकरण शामिल है। सीवेज और सेप्टेज प्रबंधन संबंधी परियोजनाएं भी शहरी क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था में सुधार करने में सहायता करती हैं। अमृत 2.0 के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं के चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन का अधिकार प्राप्त है।

सीकर शहर में, अमृत 2.0 के अंतर्गत राजस्थान राज्य ने ₹315.68 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत की 02 सीवर एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं तथा ₹11.11 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत की 03 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं शुरू की हैं। इन सभी परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर ली गई है और संविदा प्रदान कर दी गई है।

(ग) और (घ) जल एवं स्वच्छता राज्य के विषय हैं तथा शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट जल का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहर/नगर स्तर पर शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आता है, जो जल निकासी एवं सीवरेज प्रणाली के रखरखाव के लिए उत्तरदायी हैं। इसके अतिरिक्त, संविधान की बारहवीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। राज्य सरकारों के अंतर्गत शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)/शहरी विकास प्राधिकरण स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार सर्वेक्षण करते हैं और जल निकासी योजनाएं तैयार करते हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध हस्तक्षेपों/निर्देशिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। यह राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है। राजस्थान राज्य के लिए अमृत 2.0 के अंतर्गत सीकर सहित अनुमोदित परियोजनाओं का शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी)-वार

ब्यौरा

वेबसाइट

<https://amrut.mohua.gov.in/approvedProjectsAmrut/ulb/RjNPQTI2T0dGN04zS3Rlc3VVUGtzUT09> पर उपलब्ध है।
